

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
भारत सरकार,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400 096  
दूरभाष। 28294743/28294744, फ़ैक्स 022-28291754  
ई-मेल: [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in) , वेबसाइट: [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in)


फा.सं.: सीपज़-सेज़/डीएम/डीएमआर/04/20-21/00602

दिनांक: 13.01.2022

परिपत्र सं. 43, /2022

विषय - वर्ष 2022 के कार्यक्रमों (इवेंट) का कैलेंडर

वर्ष 2022 के दौरान फायर मॉक ड्रिल कार्यक्रमों के कैलेंडर की प्रति संलग्न है। आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वर्ष 2022 के कार्यक्रमों के अनुसार मासिक / छः माह की रिपोर्ट एवं अग्निशमन प्रशिक्षण तथा फायर मॉक ड्रिल आयोजित करके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

  
(विजय नरे)

सहायक सुरक्षा अधिकारी / आपदा सहायक  
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्रति:

सभी यूनिट तथा कैंटीन, सीपज़-सेज़

प्रतिलिपी:


- 1 आईटी अनुभाग - कृपया उक्त सूचना वेबसाइट- [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in) पर अपलोड किया जाए।

**वर्ष 2022 के कार्यक्रमों का कैलेंडर**

कार्यक्रम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
एसडीएफ बिल्डिंग द्वारा फायर मॉक ड्रिल	एसडीएफ 1, एसडीएफ 2 और एसडीएफ 3	जी एंड जे 1 और एसडीएफ 7	एसडीएफ 4, एसडीएफ 5 और एसडीएफ 6	जी एंड जे 2 और एसडीएफ 8	जी एंड जे 3 और मल्टिस्टोरिड बिल्डिंग	सीपज़++ टॉवर 1 और सीपज़++ टॉवर 2	एसडीएफ 1, एसडीएफ 2 और एसडीएफ 3	जी एंड जे 1 और एसडीएफ 7	एसडीएफ 4, एसडीएफ 5 और एसडीएफ 6	जी एंड जे 2 और एसडीएफ 8	जी एंड जे 3 और मल्टिस्टोरिड बिल्डिंग	सीपज़++ टॉवर 1 और सीपज़++ टॉवर 2
सभी यूनिटों/बिल्डिंगों द्वारा प्रत्येक महीने में अग्निशमन प्रशिक्षण	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट
इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा रिपोर्ट	प्रत्येक छह महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के जून तथा दिसंबर महीने के अंत में।											
सभी कैंटीनों की खाद्य निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट	प्रत्येक छह महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के जून तथा दिसंबर महीने के अंत में।											
इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा मासिक बैठक	सभी इमारत।											
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक	प्रत्येक तीन महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर महीने के अंत में।											

नोट:- इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा उनके इमारतों में फायर मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल सीपज़ आपदा अनुभाग के सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण कि जाएगा। ऐसे ड्रिलों के लिखित रिकॉर्ड तीन वर्षों तक रखे जाएंगे तथा फायर ब्रिगेड निरीक्षण के लिए ये तत्काल उपलब्ध रहेंगे। इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने यूनिटों / इमारतों में फायर फाइटिंग प्रशिक्षण के लिए फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क रखें।

1. सभी इमारतों को सभी यूनिटों के साथ मासिक बैठक आयोजित करनी है तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त विकास आयुक्त को भेजने हैं तथा इनकी प्रतियां आपदा प्रबंधन सेल तथा संबंधित आपातकालीन प्रबंधन समिति के चेअरमैन को भी भेजनी हैं।
2. आपातकालीन प्रबंधन समिति को आवश्यकतानुसार अपने-अपने इमारतों की बैठकें आयोजित करनी है तथा इस संबंध में पाई जानी वाली विसंगतियों की सूचना सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सीपज़, आपदा अनुभाग को भेजनी हैं।



(विजय नरे)

सहायक सुरक्षा अधिकारी / आपदा सहायक